



2026:AHC: 166874

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स संख्या - 1598/2022

अमित सिंह

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: इमरान अली, मुर्तुजा अली, संजीव सिंह, शिव किंकर सिंह, सूर्यप्रकाश शर्मा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. वर्तमान रिट याचिका प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पुनरीक्षण संख्या 45 वर्ष 2021 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपील संख्या 31 वर्ष 2021 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2021, और प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2021 को रद्द करने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को आबकारी वर्ष 2020-21 के लिए देशी शराब की दुकान चलाने का लाइसेंस प्रदान किया गया था। उक्त लाइसेंस का लागू आबकारी नीति के अनुसार समय-समय पर नवीनीकरण किया गया था। दिनांक 24.03.2021 को, याचिकाकर्ता के चाचा, अर्थात् अजय उर्फ छोटकू के विरुद्ध थाना सराय अकील, जिला कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 60/62 पठित धारा 419, 420, 467, 468 और 471 भा.द.सं. के अंतर्गत एक झूठा वाद, मुकदमा अपराध संख्या 169 वर्ष 2021

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त एफ.आई.आर. के आधार पर, याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका विधिवत उत्तर दिया गया था, जिसमें कथित घटना में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के साथ-साथ लागू प्रावधानों और नियमावली के किसी भी उल्लंघन से इनकार किया गया था। हालांकि, आदेश दिनांक 22.05.2021 द्वारा, याचिकाकर्ता का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना काली सूची में डाल दिया गया। उक्त आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा अमित सिंह बनाम कलेक्टर/लाइसेंसिंग प्राधिकारी, कौशाम्बी और एक अन्य शीर्षक से अपील संख्या 31 वर्ष 2021 दाखिल करके चुनौती दी गई थी, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे भी खारिज कर दिया गया। अतः वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई।

4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि, एक पूरक शपथ पत्र के माध्यम से, यह अभिलेख पर लाया गया है कि याचिकाकर्ता के चाचा के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को विद्वान अपर जिला न्यायाधीश द्वारा हटा दिया गया था और उनके विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाहियां भी समाप्त कर दी गई थीं। इसलिए, यदि याचिकाकर्ता की ओर से कोई उल्लंघन मान भी लिया जाए, तो आक्षेपित आदेशों को कायम नहीं रखा जा सकता है। अपने अभिवेदन के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **श्याम सुंदर शिवहरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य**, रिट टैक्स संख्या 1473 वर्ष 2023, निर्णीत दिनांक 06.11.2024 के वाद में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, और प्रार्थना की है कि वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाए।

5. इसके विपरीत, राज्य के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता आक्षेपित आदेशों का समर्थन करते हैं।

6. पक्षकारों को सुनने के पश्चात, न्यायालय ने अभिलेख का परिशीलन किया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने श्याम सुंदर शिवहरे (उपरोक्त) के वाद में निर्णय पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान वाद में शामिल मुद्दा पूरी तरह से उक्त निर्णय द्वारा आच्छादित है। उक्त तथ्य का राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा विवाद नहीं किया जा सका। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि इससे पहले इस न्यायालय में रिट टैक्स संख्या 1008 वर्ष 2022 दाखिल की गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और आदेश दिनांक 25.05.2023 के माध्यम से मामले को संबंधित प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक सर्वेक्षण किया गया था और एक दीपक सिंह के घर से कुछ सामग्री मिली थी, जिसे याचिकाकर्ता के अधिकृत एजेंट का भाई बताया जाता है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि दीपक सिंह न तो याचिकाकर्ता का कर्मचारी है और न ही क्लर्क है, बल्कि एक पूर्व कर्मचारी का भाई है, जिसे 10.09.2020 को निकाल दिया गया था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 7 के अनुसार, दीपक सिंह को याचिकाकर्ता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वह न तो लिपिक है और न ही नौकर, और इसलिए, दीपक सिंह के घर से बरामद किसी भी सामग्री को याचिकाकर्ता से नहीं जोड़ा जा सकता। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि मुकदमेबाजी के पहले दौर में, प्रतिप्रेषित करते समय आक्षेपित आदेश में न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नोट किया गया था, लेकिन प्राधिकारियों ने अपने विवेक में बिना किसी ठोस सामग्री के याचिकाकर्ता के विरुद्ध मुद्दे का निर्णय कर दिया है।

4. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि 05.08.2021 के सर्वेक्षण के आधार पर, जहां कुछ शराब और उसके निर्माण के लिए सामग्री मिली थी, साथ ही होलोग्राम और क्यूआर (क्विक रिस्पॉंस) कोड भी मिला था। उक्त आधार पर, याचिकाकर्ता के लुक्टारा और तिंदवारी, जिला-बांदा में स्थित दो दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अन्य लाइसेंस यानी तिंदवारी के संबंध में कोई भी सामग्री नहीं मिली थी और इसलिए, याचिकाकर्ता की उक्त दुकानों के लाइसेंस रद्द नहीं किए जाने चाहिए थे।

5. अपने अभिवेदन के समर्थन में, उन्होंने रमेश चंद्र राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव आबकारी विभाग और अन्य (रिट-सी संख्या 9330 वर्ष 2016), निर्णीत दिनांक 13.10.2022 और संदीप सिंह (देशी शराब की दुकान मझेनपुरा जिला-फतेहपुर के लाइसेंसधारी) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, विशेष सचिव (आबकारी) उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और 3 अन्य (रिट टैक्स संख्या 278 वर्ष 2020), निर्णीत दिनांक 21.01.2021 के वादों में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों पर भरोसा किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप यह है कि अवैध देशी शराब और उसके निर्माण के लिए कुछ सामग्री एक दीपक सिंह के घर से मिली थी, जिसके आधार पर याचिकाकर्ता की दुकानों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था, लेकिन देशी शराब के साथ-साथ विदेशी शराब का लाइसेंस उक्त व्यक्तियों की मां को प्रदान किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्यर्थियों का आचरण केवल याचिकाकर्ता को परेशान करने और उसे उसकी वैध कमाई से वंचित करने का है, और इसलिए, आक्षेपित आदेश विधि में त्रुटिपूर्ण हैं।
7. इसके विपरीत, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता आक्षेपित आदेशों का यह कहते हुए समर्थन करते हैं कि शिपु सिंह दीपक सिंह का भाई है, जिसके घर से शराब बनाने की सामग्री मिली थी और शिपु सिंह का नाम आबकारी वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए याचिकाकर्ता के लाइसेंस के अभिलेख में उल्लिखित है और इसलिए, उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 7 के दायरे के अनुसार दीपक सिंह के घर से मिली सामग्री याचिकाकर्ता से जुड़ी हुई है और इसलिए, आदेश सही ढंग से पारित किया गया है।
8. पक्षकारों को सुनने के पश्चात, न्यायालय ने अभिलेख का परिशीलन किया है।
9. यह स्वीकार्य है कि यह मुकदमेबाजी का दूसरा दौर है और मुकदमेबाजी के पहले दौर में, न्यायालय द्वारा इस आधार पर मामले को प्रतिप्रेषित किया गया था कि प्राधिकारी दीपक सिंह को याचिकाकर्ता से जोड़ने में विफल रहे हैं क्योंकि वह न तो क्लर्क था और न ही नौकर, और न ही याचिकाकर्ता का अधिकृत एजेंट, जैसा कि यूपी आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 7 के अंतर्गत परिकल्पित है, लेकिन आक्षेपित आदेश पारित करते समय, इस महत्वपूर्ण तथ्य पर विस्तार से विचार नहीं किया गया या किसी ठोस सामग्री द्वारा इसका समर्थन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, वर्तमान रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 37 और 38 में, एक विशिष्ट अभिकथन किया गया है कि यदि याचिकाकर्ता ने दीपक सिंह को अधिकृत किया है, जो याचिकाकर्ता के सेल्समैन अर्थात् शिपु सिंह का भाई है, तो वही प्राधिकार प्रत्यर्थियों के अभिलेखों में मौजूद होना चाहिए, लेकिन प्रतिशपथ पत्र में उक्त तथ्य से इनकार नहीं किया गया है, हालांकि, प्रस्तर संख्या 19 में केवल एक अभिकथन किया गया है वह भी बिना किसी समर्थक सामग्री के किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. अभिलेख दर्शाता है कि दीपक सिंह और शिपु सिंह अवैध शराब बनाने में लगे हुए थे और विधि के प्राधिकार के बिना सामग्री रखते थे, तो इन दोनों व्यक्तियों की मां के पक्ष में दिया गया लाइसेंस, जैसा कि प्रति-उत्तर शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 10 और 11 में उल्लिखित है, देशी निर्मित शराब और विदेशी निर्मित शराब चलाने और बेचने के लिए नहीं दिया जा सकता था। प्रत्यर्थी प्राधिकारियों द्वारा उक्त तथ्य से इनकार नहीं किया गया है, इससे पता चलता है कि प्रत्यर्थियों का आचरण याचिकाकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से है।

12. इसके अतिरिक्त, अभिलेख दर्शाता है कि याचिकाकर्ता के तिंदवारी, जिला-बांदा में स्थित दुकान के लाइसेंस को रद्द करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है।

13. इस न्यायालय ने संदीप सिंह (उपरोक्त) के वाद में अभिनिर्धारित किया है कि यदि प्रश्नागत दुकान में कोई सामग्री नहीं मिली है, तो उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत हैं:-

'27. उस दृष्टिकोण से, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया यह अभिवेदन कि अन्य लाइसेंस का रद्दीकरण पहले रद्दीकरण कार्यवाही के स्वचालित परिणाम के रूप में होता है, भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 34(2) के प्रावधान विवेकाधीन हैं और अनिवार्य नहीं हैं जैसा कि विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा सुझाव दिया गया है। साथ ही इसका अनुप्रयोग किसी लाइसेंसधारी के किसी अन्य आबकारी लाइसेंस के रद्दीकरण का स्वचालित परिणाम कभी नहीं हो सकता है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग केवल एक ऐसे लाइसेंसधारी के विरुद्ध राजस्व के हित में किया जा सकता है जो पहले ही अधिनियम की धारा 34(1) के अंतर्गत एक लाइसेंस के रद्दीकरण का सामना कर चुका है; ऐसी शक्ति का प्रयोग अत्यधिक सावधानी के साथ केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां पूर्व कार्यवाहियों में साबित हुए तथ्यों पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी लाइसेंसधारी के किसी अन्य/अन्य लाइसेंस को जारी रखना राजस्व के हित के लिए हानिकारक होगा। यही वह तथ्य है जिसे अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत शुरू की गई ऐसी कार्यवाही में साबित करना होगा।

28. इस प्रकार, धारा 34(2) के अंतर्गत कार्यवाहियां विशुद्ध रूप से राजस्व के मूल हितों में उत्पन्न हो सकती हैं, जो कि लाइसेंसधारी द्वारा किए गए जानबूझकर किए गए उल्लंघन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के कारण होती हैं, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत जारी किसी अन्य लाइसेंस को रद्द करने की पूर्व कार्यवाही में पाया/साबित किया गया हो। फिर भी, उस लाइसेंसधारी के किसी अन्य लाइसेंस को रद्द करने के लिए अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने से पहले संतुष्ट या साबित की जाने वाली पूर्व-शर्त के रूप में कोई अन्य और नया उल्लंघन मौजूद नहीं हो सकता है। इसलिए, पूर्व लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही से ही ऐसे कारण/कारणों का अस्तित्व सामने आना चाहिए जो इतने गंभीर हों कि वे लाइसेंसिंग प्राधिकारी को यह संतुष्टि दे सकें कि राजस्व के हित में उस लाइसेंसधारी के सभी या किसी अन्य लाइसेंस को भी रद्द कर दिया जाए। दृष्टान्त के रूप में, लेकिन किसी भी तरह से संपूर्ण रूप से नहीं, वे बड़े पैमाने पर या संगठित कर चोरी या आबकारी शुल्क से बचने के मामले हो सकते हैं; लाइसेंसधारी द्वारा अपनाए गए नियमित व्यावसायिक अभ्यास के रूप में नियमों और शर्तों का उल्लंघन; किसी निर्दिष्ट दोषसिद्धि या विधि के प्रवर्तन या किसी अन्य कारण/आधार के कारण कोई आबकारी लाइसेंस रखने की अयोग्यता, जो कि अधिनियम की धारा 34(1)(ए) या (बी) या (सी) के अंतर्गत उसी लाइसेंसधारी के एक या अधिक लाइसेंस रद्द करने के लिए पूर्व कार्यवाही में पहले से ही साबित तथ्यों से उत्पन्न हो सकती है।

29. ऐसी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग किए जाने से पहले, दो आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। एक, लाइसेंसधारी के एक अन्य लाइसेंस (अधिनियम के अंतर्गत जारी) को रद्द करने वाले अधिनियम की धारा 34(1)(ए) या (बी) या (सी) के अंतर्गत आदेश का अस्तित्व दिखाया जाना चाहिए। दो, लाइसेंसधारी को यह कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी करना होगा कि उसके नाम पर मौजूद कोई अन्य/अन्य लाइसेंस रद्द क्यों न किया जाए। नोटिस में यह बताया जाएगा कि अन्य वाद/वादों के साबित तथ्यों में, किसी अन्य लाइसेंस को कैसे/क्यों रद्द किया जाना है। उन कार्यवाहियों में नए उल्लंघन का कोई अन्य आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए या साबित नहीं किया जाना चाहिए।

30. वर्तमान वाद के तथ्यों पर आते हुए, यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से समय-पूर्व होगा कि कारण बताओ नोटिस में निर्दिष्ट आधार मझेनपुर्वा लाइसेंस के रद्दीकरण की सत्यता या अन्यथा की जांच करने के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त है या



पर्याप्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गेहरूखेड़ा लाइसेंस को रद्द करने वाले मूल तथ्यों ने अभी तक अंतिम रूप प्राप्त नहीं किया है। रिट टैक्स संख्या 277 वर्ष 2020, निर्णीत 19.01.2021 में पारित आदेश द्वारा, उन कार्यवाहियों को नए सिरे से जांचने और अपने निष्कर्ष दर्ज करने के लिए अपीलीय प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया गया है कि क्या याचिकाकर्ता के पास छेड़छाड़ किए गए क्यूआर कोड और कैप्स थे। जब तक अपीलीय प्राधिकारी इस बारे में किसी पक्के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, वर्तमान मामले के तथ्यों में, मंज़ेनपुरवा लाइसेंस के रद्दीकरण की एक साथ जांच नहीं की जा सकती है।'

14. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने रमेश चंद्र राय (उपरोक्त) और अजय प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सचिव आबकारी सिविल सचिवालय लखनऊ और अन्य के मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपयोग की गई सामग्री लाइसेंसधारी के कब्जे से बरामद की जानी चाहिए और यदि सामग्री किसी अन्य व्यक्ति से बरामद की गई है, तो याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान निकालने के लिए इसे जोड़ा नहीं जा सकता है। रमेश चंद्र राय (उपरोक्त) के निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत हैं:-

'17. वर्तमान वाद में, यह स्वीकार्य है कि बरामदगी लाइसेंसी परिसर से नहीं हुई थी और शराब दोनों याचिकाकर्ताओं के संयुक्त स्वामित्व वाले आवासीय परिसर से बरामद की गई थी। अभिलेख पर मौजूद जब्ती ज़ापन में, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्ता उक्त शराब के क्रेटों के "सचेत कब्जे" में थे, अभिलेख पर मौजूद जब्ती ज़ापन में याचिकाकर्ताओं की उपस्थिति भी दर्ज नहीं है; यह कहीं भी दर्ज नहीं करता है कि याचिकाकर्ता उक्त शराब के प्रति सचेत थे। जब्ती का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है जो 16.4.2015 को शुरू हुई लेकिन जिस पर 17.4.2015 को हस्ताक्षर किए गए।

18. मैंने पहले ही अभिनिर्धारित किया है कि शराब लाइसेंसी परिसर से जब्त नहीं की गई थी जो कि पक्षकारों का स्वीकृत मामला है। इसके अतिरिक्त, इस राय पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री न होने के कारण कि याचिकाकर्ताओं के आवासीय परिसर से कथित रूप से जब्त की गई शराब उनके सचेत कब्जे में थी, नियमों के संदर्भ में, लाइसेंस का रद्दीकरण और उसके परिणामस्वरूप की गई जब्ती स्पष्ट रूप से नियमावली के विरुद्ध थी।'

15. अजय प्रताप सिंह (उपरोक्त) के निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर नीचे उद्धृत हैं:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



'15. यहां आक्षेपित आदेशों के अंतर्गत याचिकाकर्ता के विरुद्ध की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से एक 'स्वामित्व हरण कार्रवाई' थी और नियमावली में प्रावधान भी 'स्वामित्व हरण' वाले हैं। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विधियों के माध्यम से राज्य को प्रदत्त स्वामित्व हरण शक्तियों की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए और पारित आदेशों को 'सख्त संवीक्षा परीक्षण' पास करना होगा। क्रमशः 2001 और 2002 के नियमों में नियम 18 और 21 के प्रावधानों को सरसरी तौर पर पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि लाइसेंस को निलंबित और रद्द करने के कदम केवल उसी स्थिति में उठाए जा सकते हैं जब (i) लाइसेंसी परिसर में कोई शराब पाई जाती है या (ii) यह लाइसेंसधारी के कब्जे में पाई जाती है। नियम 21 और नियम 18 में निर्दिष्ट अन्य शर्तों पर इस न्यायालय को रुकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं होती हैं। अधिनियम और उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत "लाइसेंसी परिसर" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि लाइसेंस प्रदान करते समय, वह परिसर जिसके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, लाइसेंस में ही स्पष्ट रूप से सीमांकित और निर्दिष्ट होता है और इस प्रकार "लाइसेंसी परिसर" शब्द की व्याख्या करने के प्रयोजनों के लिए, लाइसेंस में संदर्भित परिसर का संदर्भ लेना होगा। 'लाइसेंसी परिसर' में अधिकृत के अलावा शराब या मादक औषधियों का कोई भी उल्लंघन या कब्जा निश्चित रूप से संबंधित प्राधिकारी को मामले के अनुसार उक्त नियमावली के नियम 18 या नियम 21 के अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार देगा। इसी प्रकार लाइसेंसधारी के कब्जे में अधिकृत के अलावा किसी भी शराब या मादक औषधियों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 18 और 21 के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को भी सक्रिय करेगा। 'लाइसेंसी परिसर' या 'लाइसेंसधारी के कब्जे' में किसी भी स्थान से किसी भी बरामदगी के किसी भी आरोप के अभाव में, उपर्युक्त अधिनियम या नियमावली के अंतर्गत निलंबित करने और रद्द करने की शक्तियों का सहारा नहीं लिया जा सकता है।'

16. उपर्युक्त तथ्यों और साथ ही उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित विधि के दृष्टिगत, आक्षेपित आदेशों को विधि की दृष्टि में कायम नहीं रखा जा सकता है और उन्हें एतद्वारा रद्द किया जाता है।

17. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. सभी स्वाभाविक परिणाम याचिकाकर्ता के पक्ष में सभी परिणामी लाभों के साथ प्रवाहित होंगे।"

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, श्याम सुंदर शिवहरे (उपरोक्त) के निर्णय में अंतर्विष्ट समान नियमों और शर्तों पर वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल)

7 अगस्त, 2026

ए.एन. मिश्रा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”